EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 615—620

Dated 21-5-2011

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2011

सा.का.नि. 156.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1977 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन, क्षेत्र संक्रिया प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन में, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, क्षेत्र संक्रिया प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 3, 15600-39100 रु.+ ग्रेड वेतन 7600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति	**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति** 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. और ग्रेड वेतन, 6600 रु. या समतुल्य में, उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :— **आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य; (ii) प्रशासनिक और स्थापना मामलों में दस वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** किसी मान्यताप्रात विश्वविद्यालय या संस्थान में वैयक्तिक प्रबंध या वैयक्तिक प्रशासन या कारोबार प्रशासन में डिप्लोमा । 2. ऐसे विभागीय उप निदेशक (प्रशासन) के संबंध में भी जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है, अन्य बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन कर लिया जाता है, तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)
टिप्पण 4 : प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उसके जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान वाले एक ग्रेड में विलय हो गया है और जहां यह लाभ उस पद (पदों) पर, जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता	पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/3/2006-प्रशा.-III]

डी. के. शर्मा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2011

G. S. R. 156.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Field Operations Division, National Sample Survey Organisation (Chief Administrative Officer), Recruitment Rules, 1977, in so far as they relates to the post of Chief Administrative Officer except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Administrative Officer in the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Field Operations Division, National Sample Survey Organisation, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Field Operations Division, National Sample Survey Organisation, Chief Administrative Officer, Group 'A' Post Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.— The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Chief Adminis-trative Officer	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	PB-3 Rs. 15600—39100 plus Grade Pay of Rs. 7600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
Promotion/Deputation.	**Promotion/Deputation:** 1. Officers of the Central Government/State Government/Union Territory,— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade in Pay Band-3 Rs. 15600—39100 with Grade Pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experence :— **Essential :** (i) a Degree from a recognized University or equivalent; (ii) ten years experience in Administrative and Establishment matters.

	(12)
	Desirable : Diploma in Personal Management or Personal Administration or Business Administration from a recognized University or Institute. 2. The Departmental Deputy Director (Administration) with five years regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post, the same shall deemed to have been filled by promotion. **Note 1**:—The Departmental officer in the feeder category who is in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :**—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarilynot exceed four years. **Note 3 :**—The miximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4 :**—For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion/deputation; the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up the post.

[F. No. A-12018/3/2006-Admn.-III]

D. K. SHARMA, Under Secy.

2927 SPI/11-2

MGIPRRND—2927 SPI/11—100 Copies.